न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 301/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गोपाल
2. मांगीलाल
3. जगदीश

पिसरान मंगला रेगर, समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम नया पढाना (रामसिंहपुरा) तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. कल्याणमल पुत्र मेवाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र सुखराम
3. तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम नया पढाना (रामसिंहपुरा) तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अपील संख्या 24–25/2012 कल्याण वगै0 बनाम गोपाल वगै0 नि0दि0 30.10.2013 द्वारा जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर वसिलसिले नामा0सं0 168 दि0 7.7.1977 एवं नामा0 सं0 13 दि0 14.6.2000 ग्राम रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री अजीजुद्दीन अहमद वकील अपीलान्ट।
2. श्री कुंजबिहारी शर्मा वकील अपीलान्ट।
3. श्री कुंजबिहारी अग्रवाल वकील रैस्पोडेन्टस।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः– 6.2.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 168 दि0 7.7.1977 एवं नामा0 संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 वाकै ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर स्वीकृत किये गये। जिनके विरूद्ध रैस्पोडेन्टस की ओर से तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। बाद कार्यवाही जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2013 पारित करते हुये रैस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 168 दि0 7.7.1977 को मंगल्या पुत्र देवा की सीमा तक, तथा नामा0 संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 को अपास्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः विधिवत जांच कर गुणावगुण के आधार

पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया । इस आदेश के खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि रैस्पो0 द्वारा तहत अदालत में नामान्तरकरण संख्या 168/7.7.1977 के विरूद्ध 35 वर्षों के पश्चात मियाद बाहर अपील पेश की गई थी। अपीलान्ट की उज्रदारी के बाबजूद तहत अदालत द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया गया। रैस्पोडेन्टस द्वारा इतने लम्बे अर्से के बाद प्रस्तुत अपील में हुई देरी के संबध में कोई सन्तोषजनक जबाब भी नहीं दिया गया है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्ण रूलिंग ए0आई0आर0 1998 पेज नं0 2276 तथा माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की रूलिंग आर0आर0टी0 2007 (2) पेज नं0 788 एवं आर0आर0टी0 2010(2) पेज नं0 801 पर अदालत मातहत ने कतई ध्यान नहीं दिया गया है। अपील खारिज करने की बजाये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो काबिले मंसूखी है। यह कि नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 7.7.1977 जो आर0 टी0 एक्ट 1955 की धारा 19 के तहत अपीलान्ट के पिता मंगल्या रैगर निवासी ग्राम रामसिंहपुरा को जागीरदार काजी हबीउल्ला पुत्र सनाउल्ला की जागीर रिज्यूम हो जाने पर शिकमी काश्तकार होने के कारण धारा 19 आरटीएक्ट 1955 के तहत खातेदार काश्तकार होने के कारण नियमानुसार विधिवत रूप से तस्दीक किया गया था। जिसकी अपील करने का रैस्पोडेन्टस को अधिकार ही नहीं था। इसके अलावा रैस्पोडेन्टस के अन्य भाईयों ने कभी भी नामान्तरकरण संख्या 168 के विरूद्ध अपील पेश नहीं की और न ही कभी उनके द्वारा कोई उज्रदारी पेश की गई है। यह कि तहत अदालत ने कानूनी तौर पर इसी नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 7.7.1977 के विरूद्ध उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर में अपील पेश की थी जिसका निर्णय 22.5.1999 को विधि सम्मत देकर नामान्तरकरण संख्या 168 को काननून सही मानते हुये उक्त अपील को लिमिटेशन के पोइन्ट पर भी मियाद बाहर मानते हुये 11 वर्ष पूर्व ही अपील खारिज की गई है। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय 22.5.1999 पर भी कोई गौर न करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो काबिले मंसूखी है। तहत अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार का भी सरासर उल्लघंन किया है, क्यों कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अंतर्गत विवादित नामान्तरकरणों की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को ही है किन्तु तहत अदालत ने उक्त कानून को नजर अंदाज करते हुये क्षेत्राधिकार से परे जाकर इस विवादित नामान्तरकरण के संबध में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो न्यायोचित नहीं है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक30.10.2013 निरस्त किया जावे। तहत अदालत मे अपीलान्ट के पिता मंगल्या की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 की अपील संख्या 24/2012 दिनांक 27.7.2012 पर भी बिना किसी आधार के

Web Copy - Not Official

निर्णय पारित किया है जो काबिले मंसूखी है क्यों कि न तो रैस्पो0 कल्याणमल व ओमप्रकाश मृतक मंगल्या के वारिस है न ही परिवारीजन है, न ही ये एग्रीब्ड है, इनको इस नामान्तरकरण के खिलाफ उज्रदारी पेश करने का कोई हक ही नहीं है। इसके बाबजूद इस अपील को मैरिट पर निर्णित न करते हुये दूसरी अपील संख्या 25/12 के साथ गैर कानूनी तरीके से शामिल करते हुये जोइन्ट निर्णय पारित किया है जो कतई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा तहत अदालत ने नामान्तरकरण संख्या 168 दि0 7.7.1977 के तहत अन्य धारा 19 के अंतर्गत अन्य खातेदारी प्राप्त 4 अन्य सहखातेदार (1)मूल्या पुत्र ग्यारस्या, (2)रामनाथ पुत्र रामचन्द, (3)भोल्या पुत्र बल्लू, (4)नारायण पुत्र हेमा को जो इस प्रकरण में सहखातेदार होने की हैसियत से आवश्यक पक्षकार थे उन्हें भी कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है और 35 वर्ष पूर्व खातेदारी को बिना किसी उचित निष्कर्ष के वेवजह निरस्त कर दिया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के प्रतिकूल है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। यह है कि विवादित कृषि भूमि के संबध में उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर में नियमित दावा 13/13 सन्तोष बनाम गोपाल, दावा संख्या 29/11 कल्याणमल बनाम नवल, दावा संख्या 27/11 रामकुंवार बनाम लक्ष्मीचन्द, पेश किये गये है जो अभी भी विचाराधीन है। इसलिऐ भी अपीलाधीन आदेश कतई अवैधानिक और निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल एवं राज0 उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कई मामलों में जिनमें नामान्तरकरण की कार्यवाही को दावे से चुनौती दी गई है उनमें नामान्तरकरण की अपीलों को चलने योग्य नहीं माना है तथा नामान्तरकरण का फैसला दावे के निर्णयानुसार किये जाने को ही वैद्य माना है। ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि दौराने पारित अपीलाधीन आदेश महत्वपूर्ण तथ्य दावा का विचाराधीन होते हुये एक लम्बा अर्सा गुजर जाने के उपरान्त भी मियाद बिन्दु पर गौर न किया जाकर, विभिन्न हायर अदालतों द्वारा प्रतिपादित सिद्यान्तों को अनदेखा करते हुये विधि विरूद्ध, क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2013 पारित कर दिया गया है जो कतई न्याय संगत न होने के कारण काबिले मंसूखी है लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 30.10.2013 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 7.7.1977 जो मंगल्या पुत्र देवा व अन्य के पक्ष में दर्ज फैसल किया गया है जबकि ग्राम रामसिंह पुरा में उक्त नाम का कोई व्यक्ति आस्तित्व में नहीं रहा है। वास्तविकता यह है कि ग्राम रामसिंहपुरा में मंगल्या पुत्र रामा रैगर आस्तित्व में रहा है जिसकी मृत्यु 1992 में होने पर उसकी खातेदारी आराजीयात की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 22.5.1992 से अपीलान्ट ने अपने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पक्ष में करवायी थी। इसके पश्चात इस विवादित नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 14.6. 2000 के जरिये भी मंगल्या पुत्र देवा रैगर के वारिस अपीलान्ट बन रहे है । एक ही व्यक्ति दो बापों की औलाद नहीं बन सकता। यह स्थिति अपने आप में संदिग्ध स्थिति को दर्शाती है। दूसरा तथ्य यह है कि विवादित नामान्तरकरण आरटीएक्ट 1955 की धारा 19 के तहत दर्ज फैसल किया गया है जबकि प्रथम तो उक्त धारा के अंतर्गत तहसीलदार भू अभि0 नामान्तरकरण दर्ज फैसल करने के लिये सक्षम ऑथर्टी नहीं है इसलिऐ यह नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके अलावा आरटीएक्ट की धारा 19 के अंतर्गत पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाते है लेकिन मंगल्या पुत्र देवा नाम का कोई व्यक्ति का आस्तित्व ही नहीं है तो पुराना कब्जा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत बतौर साक्ष्य खसरा गिरदावरी सम्बत 2009–33 से रैस्पोडेन्ट के पुराने कब्जे की पुष्टि हो जाती है। साथ ही एसडीओ सवाईमाधोपुर द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 21.6.2012 से भी रैस्पोडेन्ट के पुराने कब्जे की बखूबी पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में मंगल्या पुत्र देवा नाम के व्यक्ति के पक्ष में कब्जे के आधार पर दर्ज फैसल किया गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण निरस्त योग्य ही है। विवादित नामा0 सं0 13 जो दिनांक 14.6.2000 को दर्ज फैसल हुआ वह भी विधि विरूद्ध है क्यों कि प्रथम तो उक्त नामान्तरकरण मंगल्या पुत्र देवा नाम के व्यक्ति की वर्ष 1992 में मृत्यु होने के आठ वर्ष बाद दर्ज फैसल किया गया । इसके विपरीत मंगल्या पुत्र रामा रैगर जिसकी मृत्यु भी 1992 में होना अंकित किया है, के तत्काल बाद अपीलान्ट ने नामा0 सं0 18 दिनांक 22.5.1992 अपने नाम दर्ज करवा लिया। ऐसी स्थिति में इतने अन्तराल के बाद उक्त नामान्तरकरण दर्ज फैसल किया जाना अपने आप में संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त उक्त नामा0 मंगल्या पुत्र देवा की विरासत का अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज फैसल किया है जबकि उक्त नाम का कोई व्यक्ति आस्तित्व में तत्समय था ही नहीं। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण भी विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है। यह नामान्तकरण कन्टेस्टेड नहीं है ये नामान्तरकरण धारा 19 के तहत खोला गया है इसलिऐ इसमें दूसरा पक्ष होता ही नहीं है। चूंकि दोनों अपील 75 एल0आर0एक्ट के तहत सक्षम अदालत जिला कलक्टर सवाईमधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उनके द्वारा क्षेत्राधिकार के दायरे में रहकर विधिवत तरीके से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। मियाद के विषय में वकील रैस्पोडेन्ट का कहना है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा एकतरफा में आदेश पारित किया गया था उसकी जानकारी ही रैस्पोडेन्ट को नहीं थी। नामान्तरकरण संख्या 168 एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम खोला गया है और नामान्तरकण संख्या 13 भी एक काल्पनिक व्यक्ति को मृत मानकर सरपंच द्वारा बनाये गये फर्जी सजरे के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है। जो प्रारम्भ से ही शून्य है और प्रारम्भ से ही विधिविरूद्ध शून्य आदेश के संदर्भ में कोई मियाद बिन्दु नहीं देखा जाता। परीक्षण न्यायालय द्वारा न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों को नजर अंदाज करते हुये एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये रैस्पोडेन्ट की बैक पर विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किये गये थे जो विधि विरूद्ध पाये

जाने के कारण तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। मियाद के संबध में न्यायसंगत वास्तविक स्थिति तहत अदालत के समक्ष रैस्पोडेन्ट की ओर से मय रूलिंग प्रस्तुत की जा चुकी थी जिसे न्यायिक दृष्टिकोण से वकायदा तहत अदालत ने स्वीकार भी किया है। जिसके तथ्य बखूबी तहत पत्रावली पर मौजूद भी है और फिर ऐसे मामलों में मियाद को नहीं देखा जाता क्यों कि जो आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है उसको कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है। उपर्युक्त तमाम तथ्यों पर पूर्ण विवेचना उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो वास्तव में न्याय संगत है । अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि फर्जी व्यक्ति के नाम दर्ज फैसल नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 7.7.1977 को मंगल्या पुत्र देवा रैगर के नाम की हद तक एवं नामान्तरकरण 13 दिनांक 14.6.2000 को सम्पूर्ण रूप से निरस्त फरमाये जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2013 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि नामान्तरकरण संख्या 168 दि0 7.7.1977 के तहत मंगल्या पुत्र देवा के साथ–साथ अन्य चार व्यक्ति क्रमशः मूल्या, रामनाथ, भोल्या, नारायण, को भी वहिस्सा बरावर खातेदारी प्रदान की गई थी। जिसमें मंगल्या पुत्र देवा 1/5 के हिस्सेदार थे। रैस्पोडेन्ट की उज्रदारी है कि मंगल्या पुत्र देवा नाम का कोई व्यक्ति गांव में आस्तित्व में न तो था और न अब है। तो उपर्युक्त सभी कार्यवाही एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर की गई है जो गलत है। क्यों कि गांव में मंगल्या पुत्र रामा नाम का व्यक्ति था जिसकी मृत्योपरान्त उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 22.5.1992 अपीलान्टस ने पूर्व में ही अपने नाम स्वीकृत करवा लिया था। तो फिर मंगला पुत्र देवा की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 अपीलान्टस के हक में कैसे स्वीकार हो सकता है? क्यों कि दो पिताओं की विरासतन हक पाने का अपीलान्टस को कतई अधिकार नहीं हो सकता। नामान्तरकरण संख्या 18/22.5.1992 एवं 13/14.6.2000 से मंगल्या पुत्र देवा एवं मंगला पुत्र रामा की विरासत के अपीलान्टस के हक में स्वीकृत हुये है। इस रिकार्डेड तथ्य के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य न तो तहत अदालत के समक्ष ही प्रस्तुत किया है और न ही अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे कि उपरोक्त तथ्य को निराधार माना जा सके। वकील अपीलान्ट द्वारा मुख्यतः मियाद बिन्दु पर ही गुरैज किया है। हमारे ख्याल से जो आदेश प्रारम्भ से ही शून्य हो अथवा ऐसे त्रुटीपूर्ण आदेश जिसकी आड में किसी व्यक्ति के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा हो अर्थात ऐसा विधि विरूद्ध आदेश जिसके आस्तित्व में बने रहने से किसी भी पक्षकार को सख्त हक तलफी पैदा हो रही हो उसे ध्यान में आते ही तत्समय नियमानुसार दुरूस्त किया जाना ही न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के

Web Copy - Not Official

अनुकूल रहता है। हमारे ख्याल से प्रकरण में पारदर्शिता लाने के लिये अपीलान्टस के वास्तविक पिता मंगल्या पुत्र देवा एवं मंगला पुत्र रामा के आस्तित्व के बिन्दु को स्पष्ट किया जाना वेहद आवश्यक है। इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये तहत अदालत द्वारा यह प्रकरण उभयपक्षकारान की सुनवाई, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु तहसीलदार सवाईमाधोपुर को रिमाण्ड किया गया है ताकि प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर न्यायिक एवं तार्किक निर्णय पारित किया जा सके। वैसे भी इस अपीलाधीन आदेश के जरिये दोनों ही पक्षों के लिये परीक्षण न्यायालय में अपने हक साबित करने के लिये विकल्प खुले हुये है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2013 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट तथ्यों के बिपरीत पाये जाने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2013 में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official